

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./चार/तीन/स.क.वि./2025/ 923

भिलाई दिनांक 12/12/2025

//अधिसूचना//

(नगरपालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत CSPDCL एवं CSPTCL दोनो विद्युत कंपनियों द्वारा स्थापित/लगाये गये बिजली के खम्भों/टॉवरो पर संपत्ति कर स्व-निर्धारण के संबंध में)

नगरपालिक निगम भिलाई की महापौर परिषद् की बैठक दिनांक 01.12.2025, प्रस्ताव क्रं. 07 में पारित संकल्प के परिपालन में तथा दिनांक 09.08.2012 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 13 (पांच) के माध्यम से छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 136 के खण्ड (जे) का लोप किये जाने के फलस्वरूप नगरपालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत उपरोक्त विद्युत वितरण/पारेषण कम्पनियों द्वारा स्थापित विद्युत खम्भों पर वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निम्नानुसार संपत्ति कर स्व-निर्धारण हेतु दरें निम्नानुसार हैं :-

क्रमांक	खम्भों का प्रकार	संपत्ति कर स्व-निर्धारण प्रयोजन हेतु प्रति खम्भा/टॉवर के लिए संपत्ति कर की वार्षिक दरें
1	CSPDCL द्वारा 11 KV से कम क्षमता की विद्युत वितरण लाईन पर स्थापित खम्भें	रु. 200.00
2	CSPDCL द्वारा 11 KV विद्युत वितरण लाईन पर स्थापित खम्भें	रु. 250.00
3	CSPDCL द्वारा 11 KV से उच्च क्षमता/33 KV की विद्युत वितरण लाईन पर स्थापित खम्भें/टॉवर	रु. 300.00
4	CSPTCL द्वारा 132 KV या उच्च क्षमता की ट्रांसमिशन लाईन पर स्थापित खम्भे/टॉवर	रु. 500.00

उपरोक्तानुसार अधिसूचना 01 अप्रैल 2025 से नगरपालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत CSPDCL एवं CSPTCL दोनो विद्युत कंपनियों द्वारा स्थापित/लगाये गये बिजली के खम्भों/टॉवरों पर प्रभावशील होगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई